फाइल नं0-71-3002(002)/15/2023-03

88/2023/I/351926/2023

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनाँक 19 जुलाई, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में फेज़-3 के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2023-24/290, दिनांक 04.07.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में फेज़-3 के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में फेज़-3 के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में संलग्न बी0एम0 प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 2600.00 लाख (रू0 छब्बीस करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) संबंधित प्रधानाचार्य/निदेशक द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनाँक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा। बजट का संक्रमण/आवंटन, सम्बन्धित मद में बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
(3) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में नहीं की जाएगी।
(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।
(5) स्वीकृत धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
(7) धनराशि को कोषागार से संस्थान/मेडिकल कालेज के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 26,00,00,000 (रूपये छब्बीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखाशीर्षक 2210051050393 फेज-।।। के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन मानक मद 31 सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, बिजनौर, कुशीनगर, कानपुर देहात, औरेया, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, कौशाम्बी, पीलीभी, गोण्डा, ललितपुर, अमेठी एवं सोनभद्र।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, बिजनौर, कुशीनगर, कानपुर देहात, औरेया, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, कौशाम्बी, पीलीभी, गोण्डा, ललितपुर, अमेठी एवं सोनभद्र।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी बिजनौर, कुशीनगर, कानपुर देहात, औरेया, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, कौशाम्बी, पीलीभी, गोण्डा, ललितपुर, अमेठी एवं सोनभद्र।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।